भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 848
दिनांक 07.02.2023/18 माघ, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

प्राकृतिक आपदा के कारण हुई हानि

†848. श्रीमती चिंता अनुराधा:

श्री मद्दीला गुरूमूर्तिः

श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः

श्री कुरुवा गोरांतला माधवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को वर्ष 2021 में आंध्र प्रदेश को प्रभावित करने वाली भारी वर्षा, बाढ़ और चक्रवात के विनाशकारी संयोजन की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस आपदा से निपटने के लिए अंतरिम राहत के रुप में राज्य को कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारी बारिश के कारण आन्ध प्रदेश को हुए नुकसान और क्षति का आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) को वहां भेजा गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आपदा के पश्चात् आकलन करने की तिथि क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, जमीनी स्तर पर प्रभावित लोगों को राहत के वितरण सहित, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार पहले से ही उनके निपटान में रखी गई राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत के उपाय करती हैं। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) की दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दिनांक 22.11.2021 के पत्र के माध्यम से भारी बारिश के कारण फसलों, सड़कों, ट्रांसमिशन लाइनों आदि को हुए 6054.29 करोड़ रु. के नुकसान के बारे में सूचित किया था तथा पुनर्बहाली और राहत कार्यों के लिए 1000 करोड़ रु. तत्काल जारी करने का अनुरोध किया था।

केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना, नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए 23 नवंबर, 2021 को एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया था। आईएमसीटी ने 26-29 नवंबर, 2021 को राज्य का दौरा किया था। आईएमसीटी की रिपोर्ट और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति संबंधी उप-समिति (एससी-एनईसी) की सिफारिशों के आधार पर, उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार हेतु इस आपदा के लिए 351.43 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की थी, जो कि राज्य सरकार को जारी कर दी गई थी।

उपर्युक्त के अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार को एसडीआरएफ के अंतर्गत 1192.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें केंद्रीय अंश के रूप में 895.20 करोड़ रुपये और राज्य के अंश के रूप में 297.60 करोड़ रुपये शामिल थे। 895.20 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश 447.60 करोड़ रुपये प्रत्येक की दो किस्तों में आंध्र प्रदेश सरकार को अग्रिम रूप में पहले ही जारी कर दिया गया था।

******